न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 104/2011/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 7.7.2011
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. ओमप्रकाश आत्मज स्व0 रामसुख जाति मीणा निवासी ग्राम कीतलहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

...अपीलाट

बनाम

1. तुलसीराम पुत्र स्व0 श्री रामसुख जाति मीणा
2. जगदीश पुत्र स्व0 रामसुख जाति मीणा
   निवासीगण कीतलहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
3. रमेश बाई पुत्री रामसुख जाति मीणा पत्नी शंकरलाल अध्यापक हाल निवासी मकान नम्बर 768 बालाजीनगर रंगबाडी रोड कोटा।
4. महावीर
5. बुद्धिप्रकाश
6. राजू
   पिसरान रामरतन जाति मीणा निवासीगण ग्राम गुमानपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा।
7. रेणु पुत्री रामरतन पत्नी मनोज जाति मीणा निवासी ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
8. श्रीमती ज्याना बेवा स्व0 रामसुख जाति मीणा निवासी ग्राम कीतलहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
9. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक कोटा।

...रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलार्थी
श्री मोहम्मद साबिर खान अभि0 रेस्पो0 क्रम–2,7,8
श्री रामरतन मीणा अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1

:::निर्णय:::

दिनांक 7.3.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या–3/2010 बउनवान तुलसीराम बनाम जगदीश आदि मे पारित निर्णय दिनांक 3.6.2011 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि तुलसीराम (रेस्पो0 क्रम–1) ने सरंपच ग्राम पंचायत बनियानी द्वारा खातेदार रामसुख के फौत होने उपरांत उसके खाते दर्ज आराजी की विरासत का तस्दीक नामा0 सं0 158 से व्यथित होकर अपील अधीनस्थ न्यायालय मे पेश कर निवेदन किया कि नामा0 सं0 158 मे पुत्रो के साथ पुत्रियों एवं बेवा का भी नाम दर्ज कर दिया गया जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 (2) मीणा जाति पर लागू नही होता। अतः पुत्रियों व बेवा का नाम हटाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय तुलसीराम द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर नामा0 सं0 158 दिनांक 21.6.2010 निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को सभी प्रभावित उभयपक्षों को सुनवाई का मौका देते हुये साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांटस ओमप्रकाश पुत्र रामसुख जाति मीणा द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि विचारण न्यायालय मृतक रामसुख का फौती नामा0 सं0 158 ग्राम कीचलहेडी ग्राम पंचायत बनियानी द्वारा मृतक रामससुख के वारिसान के पक्ष मे सही रूप से नियमानुसार तस्दीक किया गया था जिसे निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को रिमांड करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। रेस्पो0 क्रम 3 लगायत 5 ने उनके हिस्से खाते व कब्जे की भूमि के पंजीकृत दस्तावेज अपीलांट के पक्ष मे वैध रूप से निष्पादित कर दिये थे। अपीलांट सम्पूर्ण भूमि पर काबिज चला आ रहा है तथा उक्त दस्तावेजात के आधार पर भूमि अपीलांट के खाते दर्ज हो चुकी है। रेस्पो0 क्रम–1 तुलसीराम को प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही था तथा अपील अवधि बाधित थी ऐसी स्थिति मे अवधि बाधित अपील को प्रथम अपीलीय न्यायालय स्वीकार कर त्रुटि की है। जेरअपील आदेश स्पीकिग आर्डर की तारीफ मे नही आने से निरस्त होने योग्य है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर हुक्म जेर अपील निरस्त किया जाकर नामा0 सं0 158 दिनांक 21.6.2010 यथावत कायम रखे जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो को ही दोहराते हुये कथन किया कि खातेदार रामसुख के फौत होने उपरांत उसकी विरासत का नामान्तरकरण 158 ग्राम पंचायत बनियानी द्वारा उसके वारिसान के नाम तस्दीक किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को रिमांड करने मे त्रुटि की है। बहस मे बताया कि विचारण न्यायालय द्वारा उक्त नामा0 सही व नियमानुसार तस्दीक किया गया था। रेस्पो0 क्रम–3 लगायत 5 ने उनके हिस्से खाते व कब्जे की भूमि को जरिये पंजीकृत दस्तावेज से अपीलांट के पक्ष मे रिलीज करदी है जिसके दस्तावेज प्रश्नगत अपील प्रकरण मे प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी के साथ पेश किये है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील आदेश निरस्त कर प्रकरण उक्त पुंजीकृत दस्तावेज को रिकार्ड को रिकार्ड पर लिये जाकर पुनः विवादित आराजी का नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु तहसीलदार लाडपुरा को रिमांड किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ने अपनी बहस मे बताया कि पक्षकार मीणा जाति से होने से मीणा जाति मे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है। परीक्षण न्यायालय ग्राम पंचायत बनियानी ने खातेदार रामसुख के फौत होने उपरांत उसके खाते दर्ज आराजी का फौती नामा0 उसके वारिसान पुत्र–पुलियों एवं बेवा के नाम दर्ज किया गया जबकि मीणा जाति मे उक्त अधिनियम लागू नही होने से पुत्रियों एवं बेवा के नाम दर्ज नही किये जा सकते। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त अधिनियम मे निहित प्रावधानो के परिपेक्ष्य मे नामान्तरकरण निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को विवादित आराजी का पुनः नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु रिमांड किया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अतः अपील खारिज की जावे।

5 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–2.7.8 श्री मोहम्मद साबिर खान बहस अभिभाषक अपीलांट से सहमत होते हुये प्रथम अपीलीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा का निर्णय खारिज कर प्रकरण मे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात रिकार्ड पर लेकर पुनः नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को रिमांड करने का अनुरोध किया।

6 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष पर मनन किया। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ रिलीज डीड दिनांक 19 मई 2011 एवं रिलीज डीड दिनांक 14.7.2010 की छाया प्रति जो नोटेरी से प्रमाणित है प्रस्तुत कर दस्तावेजात अपील विषयक आराजीयात से संबधित होने से न्यायहित मे रिकार्ड पर लिये जाने हेतु पेश किये गये। रेस्पो0 की ओर से प्रार्थना पत्र का कोई प्रतिउत्तर पेश नही किया तथा ना ही उक्त दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने मे किसी प्रकार की कोई आपत्ति होना प्रकट किया। अपील विषयक प्रकरण मे प्रस्तुत उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पो0 क्रम–3,4,6,7,8 द्वारा विवादित आराजी मे निहित अपने हिस्से की भूमि का हक तर्क जरिये रजिस्टर्ड पंजीकृत दस्तावेजात से हकत्याग अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित किया है। जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा तुलसीराम द्वारा नामा0 सं0 158 ग्राम कीचलहेडी तह0 लाडपुरा रेस्पो0 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सं0 3/10 मे आलौच्य निर्णय दिनांक 3.6.2011तत्समय रेस्पो0 के अभिभाषक उपस्थित नही होने पर एक तरफा कार्यवाही करते हुये पक्ष पक्षीय रूप से पारित किया है जिसके कारण अपीलांट को अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील प्रकरण मे समुचित पक्ष प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य सबूत/दस्तावेजात पेश करने का अवसर नही मिलना एंव समुचित साक्ष्य सबूत के अभाव मे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त आधार अभिलेख पर भी गौर नही किया जाना प्रकट होता है अतः न्यायहित मे अपील विषयक प्रकरण मे प्रस्तुत उक्त वर्णित दस्तावेजात निर्णय मे सहायक होने से प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाता है तथा उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा प्रकरण मे पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 3.6.2011 अपास्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी कोटा को उभय पक्षकारान को सुनवाई व पक्ष/दस्तावेज प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान कर उक्त विवेचित तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत, तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु प्रति प्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 7.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा